13-12-2014

प्रकरण आज दिनांक को राष्ट्रीय वृहद लोक अदालत में सुनवाई हेतु नियत है।

राज्य द्वारा श्री अनिल माहोरे ए.डी.पी.ओ.। आरोपी अनुपस्थित।

अभियोजन की ओर से श्री माहोरे ए.डी.पी.ओ. ने आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 321 दंड प्रक्रिया संहिता में यह निवेदन किया कि यह प्रकरण मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार साधारण किस्म का प्रकरण होने से लोकहित में वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया है। श्री माहोरे ने प्रकरण के भारसाधक अधिकारी होने के नाते यह आवेदन अभियोजन की ओर से पेश किया है। अतएव आवेदन पत्र स्वीकार किया जावे। आवेदन के समर्थन में शासन द्वारा जारी किये गये आदेश की फोटोप्रति पेश की गई है। आवेदन पत्र उचित रूप से हस्ताक्षरित है तथा श्री माहोरे ए.डी.पी.ओ. द्वारा पूर्व से प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपस्थित होते रहे हैं एवं शासन की ओर से यह प्रकरण वापस लिये जाने हेतू भारसाधक अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

आरोपी के विरूध्द धारा—34(1)(क) आबकारी के अपराध के अंतर्गत अभियोग प्रस्तुत किया गया है। आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रकट नहीं होती है। आवेदनपत्र स्वीकार किया जाकर अभियोजन को प्रकरण वापस लिये जाने

की अनुमित प्रदान की जाती है। अतएव आरोपी कैलाश के विरूध्द प्रकरण समाप्त किया जाकर उसका स्थायी वारंट निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप आरोपी को धारा—34(1)(क) के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से विधिवत् तत्काल नष्ट किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज किया जाकर प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जाये।

> (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर